बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

संकल्प

संख्या–11/मु 9–163/2019 ..... पटना, दिनांक .....

विषयः– राजकीयकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मियों यथा लिपिक एवं चतुर्थवर्गीय कर्मी (आदेशपाल) के पद (संवर्ग) को तत्काल प्रभाव से मरणशील घोषित करने एवं रिक्त पदों को क्रमिक रूप से प्रत्यार्पित मानते हुए विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पद का सृजन तथा उस पर पंचायतीराज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के माध्यम से नियोजन की स्वीकृति के संबंध में।

वर्त्तमान में राजकीयकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में लिपिक एवं अनुसेवक (आदेशपाल) का पद है, जिसका संवर्ग जिला स्तरीय है। ये राज्य सरकार के कर्मी हैं। विद्यालयों में लिपिक एवं आदेशपाल का क्रमशः न्यूनतम एक पद एवं दो पद सृजित है। विद्यालय के स्थापना के आकार के आधार पर यह संख्या उक्त विद्यालयों में अलग–अलग है।

2. इन विद्यालयों में सहायक शिक्षक का पद मरणशील घोषित करते हुए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में क्रमशः जिला परिषद् माध्यमिक शिक्षक, जिला परिषद् उच्च माध्यमिक शिक्षक, नगर माध्यमिक शिक्षक एवं नगर उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद का सृजन वर्ष 2006 में किया गया। साथ ही, बिहार जिला परिषद् माध्यमिकएवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2006 एवं बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2006 का गठन करते हुए जिला परिषद्, नगर पंचायत, नगर परिषद् एवं नगर निगम के माध्यम से इन पदों पर नियोजन की कार्रवाई प्रारंभ की गयी।

3. वर्त्तमान में यह प्रावधानित है कि राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय तक के कार्यरत शिक्षक जो वर्ष 2006 से पूर्व के नियुक्त हैं (जिनका संवर्ग मरणशील है) एवं वर्ष 2006 के बाद पंचायतीराज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अन्तर्गत कार्यरत शिक्षक के साथ–साथ विद्यालय के शिक्षकेत्तर कर्मियों (लिपिक एवं आदेशपाल) की सेवाकाल में मृत्यु के उपरांत उनके अर्हताधारी आश्रितों को वर्ष 2006 एवं उसके बाद अधिसूचित नियमावली के प्रावधानों के अधीन ही शिक्षक के पद पर नियुक्ति किया जा सकता है। शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता इण्टरमीडिएट एवं प्रशिक्षण की योग्यता के साथ–साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। फलस्वरुप अनुकम्पा पर नियोजन होने में व्यावहारिक कठिनाई हो रही है और परिणामस्वरुप माननीय न्यायालयों में इससे संबंधित वाद लगातार दायर हो रहे हैं।

4. उक्त वस्तुस्थिति पर सम्यक् विचारोपरांत निम्नांकित निर्णय लिए गए :–

(i) राजकीयकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मियों यथा लिपिक एवं चतुर्थवर्गीय कर्मी (आदेशपाल) का पद (संवर्ग) तत्काल प्रभाव से मरणशील होगा।

(ii) इस संवर्ग के लिपिक एवं चतुर्थवर्गीय कर्मी (आदेशपाल) के रिक्त पद एवं भविष्य में रिक्त होने वाले पद क्रमशः विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के पद के रूप में समपरिवर्तित हो जायेंगे।

(iii) लिपिक एवं चतुर्थवर्गीय कर्मी (आदेशपाल) के वर्तमान में रिक्त पदों एवं सेवानिवृति/मृत्यु/पद त्याग या अन्य कारणों से होने वाली रिक्तियों को प्रत्येक पंचांग वर्ष की

समाप्ति अर्थात प्रत्येक वर्ष के 31 दिसम्बर को विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के रूप में नियोजन हेतु प्रत्यार्पित मानते हुए स्वीकृत माना जाएगा। परन्तु वर्त्तमान में प्रवृत बिहार राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय (सेवाशर्त) नियमावली, 1983 (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्रावधान के आलोक में वर्ग–IV (आदेशपाल) से वर्ग–III (लिपिक) के पद पर प्रोन्नति हेतु आरक्षित 15 प्रतिशत पदों को प्रोन्नति हेतु सुरक्षित रखा जाएगा। भविष्य में वर्ग–IV (आदेशपाल) के पद पर कार्यरत सभी कर्मियों की सेवानिवृति/प्रोन्नति/पदत्याग/मृत्यु /सेवामुक्ति के उपरांत उक्त सुरक्षित पद को भी प्रत्यार्पित मानते हुए वह पद विद्यालय सहायक के पद पर नियोजन हेतु उपलब्ध होगा।

(iv) बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित नियमावली के तहत जिला परिषद् एवं नगर निकाय यथा नगर पंचायत, नगर परिषद् एवं नगर निगम के अधीन राजकीयकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु गठित पैनल निर्माण समिति के द्वारा ही विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के पद पर नियोजन किया जाएगा। इस प्रकार उक्त दोनों पद पर नियोजन हेतु सक्षम नियुक्ति प्राधिकार वही होगा जो संबंधित जिला परिषद् एवं नगर निकाय यथा नगर पंचायत, नगर परिषद् एवं नगर निगम अन्तर्गत शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकार हैं।

5. **विद्यालय सहायक** एवं **विद्यालय परिचारी के पद पर नियोजन की प्रक्रिया एवं अर्हता :–**

<u>विद्यालय सहायक के संबंध में</u> :–

(क) विद्यालय सहायक का पद सीधी भर्त्ती से भरा जायेगा।

(ख) विद्यालय सहायक के पद पर नियोजन हेतु भारत का नागरिक एवं संबंधित नियोजन इकाई जिस जिला क्षेत्र में अवस्थित होगा, उस जिला का स्थायी निवासी होना आवश्यक होगा। इसके लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।

(ग) इस पद पर नियोजन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड/कॉन्सिल से इण्टरमीडिएट/उच्च माध्यमिक अथवा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से मौलवी अथवा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से उप शास्त्री उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

(घ) मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर संचालन में न्यूनतम छः माह का डिप्लोमा की अर्हत्ता आवश्यक होगा।

(ड़) इस पद पर नियोजन हेतु न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और कोटिवार अधिकतम उम्र वही होगी, जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेगी।

(च) अभ्यर्थियों द्वारा नियोजन के लिए ऑन–लाइन आवेदन संबंधित नियोजन इकाई में समर्पित किया जायेगा।

(छ) नियोजन पैनल के आधार पर किया जाएगा। पैनल का निर्माण मेधा अंक में अवरोही क्रम के अनुसार होगा। इण्टरमीडिएट के परीक्षा में कुल पूर्णांक के सापेक्ष प्राप्त कुल प्राप्तांक का प्रतिशत संबंधित अभ्यर्थी का मेधा अंक होगा। मेधा अंक समान होने पर जिनकी जन्म तिथि पहले होगी उन्हें पैनल में ऊपर रखा जायेगा। समान अंक एवं समान जन्म तिथि होने पर अंग्रेजी के शब्दकोष के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम पहले होगा, उसका पैनल में ऊपर स्थान निर्धारित किया जाएगा। इसमें भी समानता होने पर लॉटरी के माध्यम से स्थान का निर्धारण किया जायेगा। पैनल की अनुमान्यता 01 वर्ष के लिए होगी। पैनल एवं रोस्टर बिन्दु को ध्यान में रखकर उपलब्ध कोटिवार रिक्त पदों के 5 गुणा तक अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए औपबंधिक चयन सूची का निर्माण किया जायेगा। औपबंधिक चयन सूची के अभ्यर्थियो का टंकण एवं कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा करते हुए उसे अंतिम रूप दिया जायेगा।

(ज) राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा सीधी नियुक्ति (अनुकम्पा पर नियुक्ति सहित) के लिए आरक्षण संबंधित किए गए प्रावधान विद्यालय सहायक के पद पर नियोजन हेतु लागू होगा।

(झ) नियोजन की प्रक्रिया से संबंधित अन्य निदेश शिक्षा विभाग, बिहार द्वारा निर्गत किया जाएगा।

विद्यालय परिचारी के लिए :–

(क) विद्यालय परिचारी के पद पर नियोजन हेतु भारत का नागरिक एवं संबंधित नियोजन इकाई जिस जिला क्षेत्र में अवस्थित होगा, उस जिला का स्थायी निवासी होना आवश्यक होगा। इसके लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।

(ख) इस पद पर नियोजन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अथवा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से फोकानिया अथवा बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड से मध्यमा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

(ग) नियोजन हेतु न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगी एवं कोटिवार अधिकतम उम्र वही होगी, जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाएगी।

(घ) अभ्यर्थियों द्वारा नियोजन के लिए ऑन–लाइन आवेदन संबंधित नियोजन इकाई में समर्पित किया जायेगा।

(च) नियोजन पैनल के आधार पर किया जाएगा। पैनल का निर्माण मेधा अंक में अवरोही क्रम के अनुसार होगा। मैट्रिक के परीक्षा में कुल पूर्णांक के सापेक्ष प्राप्त कुल प्राप्तांक का प्रतिशत संबंधित अभ्यर्थी का मेधा अंक होगा। मेधा अंक समान होने पर जिनकी जन्म तिथि पहले होगी उन्हें पैनल में ऊपर रखा जायेगा। समान अंक एवं समान जन्म तिथि होने पर अंग्रेजी के शब्दकोष के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम पहले होगा, उसका पैनल में ऊपर स्थान निर्धारित किया जाएगा। इसमें भी समानता होने पर लॉटरी के माध्यम से स्थान का निर्धारण किया जायेगा। पैनल की अनुमान्यता 01 वर्ष के लिए होगी। पैनल एवं रोस्टर बिन्दु को ध्यान में रखकर उपलब्ध कोटिवार रिक्त पदों के 5 गुणा तक अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए चयन सूची का निर्माण किया जायेगा।

(छ) राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा सीधी नियुक्ति (अनुकम्पा पर नियुक्ति सहित) के लिए आरक्षण संबंधित किए गए प्रावधान विद्यालय परिचारी के पद पर नियोजन हेतु लागू होगा।

(ज) नियोजन की प्रक्रिया से संबंधित अन्य निदेश शिक्षा विभाग, बिहार द्वारा निर्गत किया जाएगा।

6. **अनुकम्पा पर नियोजन :–**

अनुकम्पा पर नियोजन से संबंधित वर्त्तमान प्रावधान जो विभागीय आदेश ज्ञापांक–336 दिनांक–07.03.2019 के तहत प्रवृत्त है, को यथावत् रखते हुए दिनांक–01.07.2006 के उपरांत सेवाकाल में शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी के मृत्यु होने पर संबंधित शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी जिस विद्यालय में कार्यरत थे, उस क्षेत्र के लिए चिन्हित नियोजन इकाई अर्थात् जिला परिषद् अथवा नगर निकाय में विद्यालय सहायक/विद्यालय परिचारी के पद पर भी नियोजन के लिए उनके आश्रित संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से आवेदन दे सकेंगे। शैक्षणिक अर्हता के अनुरुप संबंधित आश्रित को क्रमशः विद्यालय सहायक अथवा विद्यालय परिचारी के पद पर नियोजन की अनुमान्यता होगी। विद्यालय सहायक के पद पर नियोजन होने पर संबंधित आश्रित को परिवीक्षा अवधि में नियोजन इकाई द्वारा आहूत टंकण एवं कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। उक्त जॉच परीक्षा में निर्धारित अवधि में उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति में संबंधित आश्रित को विद्यालय परिचारी के पद की

उपलब्धता की स्थिति में उस पर समायोजन पर संबंधित नियोजन इकाई द्वारा विचार किया जा सकेगा। विद्यालय परिचारी का पद उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में संबंधित आश्रित को सेवामुक्त कर दिया जायेगा। सीधी नियोजन से संबंधित अन्य अर्हताएं शिथिल रहेगी। कुल रिक्त पद के अधिकतम 50 प्रतिशत पद अनुकम्पा पर नियोजन हेतु उपलब्ध होगा। अनुकम्पा पर नियोजन के लिए संबंधित कर्मी के मृत्यु के 05 वर्ष के अन्दर आवेदन देना आवश्यक होगा। यह शर्त्त इस प्रावधान के प्रभावी होने की तिथि के पूर्व सेवाकाल में मृत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी के आश्रितों के संदर्भ में शिथिल रहेगी।

7. **विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी की सेवा शर्त्त :–**

क. जिला परिषद्/नगर निकाय अन्तर्गत नियोजित होने वाले विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी 60 वर्ष की उम्र तक के लिए नियोजित होंगे। विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के लिए परिवीक्षा अवधि क्रमशः एक वर्ष एवं छः माह का होगा। उनका नियत वेतन क्रमशः 16,500/– प्रतिमाह, एवं 15,200/– प्रतिमाह होगा। संतोषजनक सेवा के आधार पर विद्यालय सहायक को 500/– एवं विद्यालय परिचारी को 400/– वार्षिक वेतनवृद्धि देय होगा। जिला परिषद् एवं नगर निकाय संस्थान को नियत वेतन एवं वार्षिक वेतन वृद्धि के भुगतान हेतु सक्षम होने तक राज्य सरकार द्वारा अनुदान की राशि दी जायेगी।

ख. आकस्मिक अवकाश एवं विशेष अवकाश सहित अन्य सभी प्रकार के अवकाश संबंधित विद्यालयों में जिला परिषद् एवं नगर निकाय संस्थान अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों को देय अवकाश के समान होगा। साथ ही शिक्षकों के अवकाश की स्वीकृति के लिए निर्धारित प्रक्रिया इनपर भी प्रभावी होगा।

ग. **स्थानान्तरण** :– यह दोनों पद सामान्यतः अस्थानान्तरणीय होगा। संबंधित कर्मी के विरूद्ध फौजदारी मुकदमा होना अथवा उनके विरूद्ध वित्तीय गबन का मामला संज्ञान में आने अथवा उनके कारण विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण नकारात्मक रूप से प्रभावित होता हो तो नियुक्ति प्राधिकार स्वयं अथवा संबंधित प्रधानाध्यापक या शिक्षा विभाग के पदाधिकारी की अनुशंसा पर संबंधित कर्मी का विद्यालय हित में प्रशासनिक दृष्टिकोण से अन्य विद्यालय में स्थानान्तरित कर सकेंगे।

घ. **अनुशासनिक कार्रवाई** :– नियुक्ति प्राधिकार के समक्ष विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के संबंध में यदि उनसे अपेक्षित व्यवहार के अनुरुप कार्य नहीं करने, नियंत्री पदाधिकारी–सह–प्रधानाध्यापक एवं उच्च स्तर से प्राप्त निदेशों का सम्यक अनुपालन नहीं करने या उनके विरुद्ध फौजदारी मुकदमा या सरकारी राशि के गबन का मामला संज्ञान में लाया जाएगा तो कर्मी के विरुद्ध लगाए गए आरोप की प्रकृति के आधार पर उन्हें लघु दंड या वृहत् दंड देने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। लघु दंड देने के पूर्व संबंधित कर्मी से एक बार स्पष्टीकरण पूछना आवश्यक होगा। वृहत् दंड देने से पहले औपचारिक रुप से जाँच पदाधिकारी नियुक्त कर उनसे प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर संबंधित कर्मी की प्रतिक्रिया प्राप्त कर दंड अधिरोपित किया जायेगा।

<u>लघु दंड</u> :–

(i) निन्दन।

(ii) लापरवाही अथवा आदेश की उल्लंघन के कारण विद्यालय को उनके द्वारा पहुँचायी गयी किसी वित्तीय हानि को उनके वेतन से पूर्ण अथवा आंशिक वसूली।

(iii) नियत वेतनवृद्धि पर रोक (संचयात्मक या असंचयात्मक)।

<u>वृहत् दंड</u> :–

(i) सेवा की समाप्ति।

ड. **<u>अपील</u>** :– नियोजन एवं सेवा शर्त्त के संबंध में जिला स्तर पर गठित जिला अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अभ्यर्थी/संबंधित कर्मी के द्वारा अपील दायर किया जाएगा। जिला

अपीलीय प्राधिकार निर्णय/आदेश के विरूद्ध राज्य अपीलीय प्राधिकार में अपील दायर की जा सकती है।

8. इस प्रावधान के प्रभावी होने की तिथि से राजकीयकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक एवं प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक एवं आदेशपाल के पद पर नियुक्ति से संबंधित पूर्व से प्रवृत बिहार राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय (सेवाशर्त) नियमावली, 1983 (समय–समय पर यथा संशोधित)/परिपत्र के तहत सीधी नियुक्ति (अनुकम्पा नियुक्ति सहित) पर रोक रहेगी। साथ ही, इस प्रावधान को लागू करने में उत्पन्न होने वाली कठिनाई के निराकरण की शक्ति शिक्षा विभाग की होगी।

9. उपर्युक्त निर्णय पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजकीय गजट में जन साधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रतिलिपि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेजी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

21/8/2020

(अरशद फिरोज)

उप सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञापांक–11/मु 9–163/2019 1128 पटना, दिनांक 21–8–2020

प्रतिलिपि:– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट में प्रकाशनार्थ अग्रसारित। अनुरोध है कि संकल्प की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ शिक्षा विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

21/8/2020

उप सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञापांक–11/मु 9–163/2019 1128 पटना, दिनांक 21–8–2020

प्रतिलिपि: (1) सभी नियोजन ईकाई के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, बिहार, पटना एवं सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि वे अपने स्तर से भी संबंधित नियोजन इकाई के अध्यक्ष/सचिव को अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु सूचित करना चाहेंगे।

(3) महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) सभी जिला पदाधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/ कार्यक्रम पदाधिकारी एवं सभी कोषागार पदाधिकारी /उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

21/8/2020

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक : 11/मु 9–163/2019 1128 पटना, दिनांक 21–8–2020

प्रतिलिपि: (1) निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)/निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/संबंधित उप सचिव, शिक्षा विभाग/प्रशाखा–18 को सूचनार्थ प्रेषित।

(2) आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि विभागीय वेबसाईट पर इसे अपलोड कर दिया जाय।

21/8/2020

उप सचिव, शिक्षा विभाग।